समाचार

मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर की गई सघन कार्यवाही

(निगम के विभिन्न जोनांतर्गत लगाया गया 12400 रूपये का जुर्माना, दी गई कड़ी समझाईश)

कोरबा 21 जुलाई 2020 –बिना मास्क पहने घरों से निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले तथा दुकानों, बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आज नगर निगम व पुलिस अमले ने सघन कार्यवाही की तथा विभिन्न जोनांतर्गत 12400 रूपये का जुर्माना लोगों पर लगाया गया। निगम अमले द्वारा उन्हें कड़ी समझाईश दी गई कि वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर न निकले तथा दुकानों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें।

नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण व उसके प्रसार को रोकने के लिए एक ओर जहां मास्क पहनना अतिआवश्यक है, वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। लगातार समझाईश देने के बाद भी लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं तथा बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों में पहुंच रहे हैं, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। निगम अमले द्वारा लगातार इस पर कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में आज निगम के सभी जोन में सघन कार्यवाही की गई तथा मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 12400 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसाबाड़ी व पं.रविशंकर शुक्ल जोन में 7500 रूपये, कोरबा जोन में 2500 रूपये, बांकीमोंगरा जोन में 900 रूपये, सर्वमंगला जोन में 500 रूपये, बालको जोन में 500 रूपये एवं दर्री जोन में 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

कराई जा रही मुनादी–नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत स्थित वार्डो, बस्तियों, व्यवसायिक क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, मार्गो आदि में लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है तथा लोगों को समझाईश दी जा रही है कि वे वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसका प्रसार रोकने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें।

आमनागरिकों से अपील– महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं, मास्क न होने पर गमछे, रूमाल आदि से

मुंह, नाक अच्छी तरह ढक कर ही बाहर निकले, दुकानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से अपनाएं। उन्होने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि वे व्यवसाय के दौरान अपनी दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित कर ले तथा वायरस के संक्रमण से बचाव,उसके नियंत्रण एवं प्रसार को रोकने की दिशा में शासन प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अपना पूरा सहयोग दें।